

क्र./एफ-5/16/2000/10-3

भोपाल दिनांक 01.2006

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय :- नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि वसूल करने के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 12.12.2005.

उपरोक्त विषय में इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित ज्ञाप दिनांक 12.12.05 के अनुसार शारदायीय परियोजनाओं के द्वारा वनभूमि पर विभिन्न निर्माण कार्यों को नेट प्रजेन्ट वेल्यू की वसूली से शर्तों के साथ मुक्त रखा गया है। उसी अनुक्रम में शासकीय परियोजनाओं के द्वारा वनभूमि पर निम्न अतिरिक्त निर्माण कार्यों को भी नेट प्रजेन्ट वेल्यू की वसूली से ज्ञाप दिनांक 12.12.05 में दर्शाये शर्त अनुसार मुक्त रखा जाता है :-

1. ग्रामीण सड़कें।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक।
3. सीवेज लाईन।

(सतीश कुमार त्यागी)

अपर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक/01.2006

पृ.क्र./एफ-5/16/2000/10-3

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/पशुपालन विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/खनिज साधन विभाग/ऊर्जा विभाग/लोक निर्माण विभाग/राजस्व विभाग/कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल।

2. मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल।

3. समस्त वनसंरक्षक, मध्यप्रदेश।

4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

5. समस्त वनमण्डलाधिकारी, मध्यप्रदेश।

6. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग